

- धारा 92च का संशोधन। 40. आय-कर अधिनियम की धारा 92च में,—  
 (क) खंड (iii) में, “या जो किसी भी प्रकार की सेवाओं” शब्दों के पश्चात्, “या किसी संविदा के अनुसरण में किसी कार्य के करने में,” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;  
 (ख) खंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—  
 ‘(iii) खंड (iii) में निर्दिष्ट “स्थायी स्थापन” के अंतर्गत कारबार का ऐसा निश्चित स्थान है जहां से उद्यम का कारबार पूर्णतः या भागतः चलाया जाता है ;’  
 (ग) खंड (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—  
 ‘(iv) “विनिर्दिष्ट तारीख” का वही अर्थ है जो धारा 139 की उपधारा (1) के नीचे स्पष्टीकरण 2 में, “निश्चित तारीख” का है ;’।
- धारा 113 का संशोधन। 41. आय-कर अधिनियम की धारा 113 में, निम्नलिखित परंतुक 1 जून, 2002 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— 15  
 “परंतु यह कि इस धारा के अधीन प्रभार्य कर में किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा उद्गृहीत किया गया अधिभार, यदि कोई हो, की वृद्धि की जाएगी, जो उस पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष में लागू होगी जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी आरंभ की जाती है या धारा 132क के अधीन उसकी अध्यपेक्षा की जाती है ।”।
- धारा 115क का संशोधन। 42. आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1) के खंड (क) में, “धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न” शब्दों, अंकों और अक्षर का, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, 1 अप्रैल, 2003 से लोप किया जाएगा। 15
- धारा 115कग का संशोधन। 43. आय-कर अधिनियम की धारा 115कग में,—  
 (क) “धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न” शब्दों, अंकों और अक्षर का, जहां-जहां वे आते हैं, 1 अप्रैल, 2003 से लोप किया जाएगा ;  
 (ख) उपधारा (1) के खंड (ख) में,—  
 (i) उपखंड (iii) में, “पुनः जारी” शब्दों के स्थान पर, “जारी या पुनः जारी” शब्द रखे जाएंगे; 20  
 (ii) उपखंड (iv) का लोप किया जाएगा।
- धारा 115कक का संशोधन। 44. आय-कर अधिनियम की धारा 115कक में, “धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न” शब्दों, अंकों और अक्षर का, जहां-जहां वे आते हैं, 1 अप्रैल, 2003 से लोप किया जाएगा।
- धारा 115कघ का संशोधन। 45. आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (क) में, “धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों के रूप में आय से भिन्न” शब्दों, अंकों और अक्षर का, 1 अप्रैल, 2003 से लोप किया जाएगा। 25
- नई धारा 115खखक का अंतःस्थापन। 46. आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 में, धारा 115खखक के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2003 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—  
 “115खखख. (1) जहां निर्धारिती की कुल आय में भारतीय यूनिट ट्रस्ट की खुली साधारण शेयरोन्मुखी निधि या पारस्परिक निधि के यूनिटों से कोई आय सम्मिलित है वहां संदेय आय-कर निम्नलिखित का योग होगा—  
 (क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट की खुली साधारण शेयरोन्मुखी निधि या पारस्परिक निधि के यूनिटों से आय पर दस प्रतिशत की दर से परिकलित आय-कर की रकम ; और  
 (ख) आय-कर की ऐसी रकम जिससे निर्धारिती तब प्रभार्य होता जब उसकी कुल आय को खंड (क) में निर्दिष्ट आय की रकम से घटा दिया होता।  
 (2) उपधारा (1) की कोई बात भारतीय यूनिट ट्रस्ट की खुली साधारण शेयरोन्मुखी निधि या पारस्परिक निधि के यूनिटों से 31 मार्च, 2003 के पश्चात् प्रोद्भूत किसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी। 35  
**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “पारस्परिक निधि”, “खुली साधारण शेयरोन्मुखी निधि” और “भारतीय यूनिट ट्रस्ट” पदों के वे ही अर्थ हैं जो धारा 115न के स्पष्टीकरण में क्रमशः उनके हैं ।”।
- धारा 115ग का संशोधन। 47. आय-कर अधिनियम की धारा 115ग के खंड (ग) में, “धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न” शब्दों, अंकों और अक्षर का 1 अप्रैल, 2003 से लोप किया जाएगा।
- धारा 115जक का संशोधन। 48. आय-कर अधिनियम की धारा 115जक की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण में, खंड (iii) और उसके स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा और 1 अप्रैल, 1997 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—  
 “(iii) बहियों के अनुसार हानि की रकम जो अग्रनीत की जाती है या शेष अवक्षयण, इनमें से जो भी कम हो।  
**स्पष्टीकरण**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—  
 (क) हानि में अवक्षयण सम्मिलित नहीं होगा ;  
 (ख) इस खंड के उपबंध लागू नहीं होंगे यदि हानि की रकम, जो अग्रनीत की जाती है या शेष अवक्षयण शून्य है ; या”। 45
- धारा 115जख का संशोधन। 49. आय-कर अधिनियम की धारा 115जख में,—  
 (क) उपधारा (1) में, “वहां उस सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए संदेय कर बही लाभ का साढ़े सात प्रतिशत समझा जाएगा” शब्दों के स्थान पर, “वहां ऐसा बही लाभ निर्धारिती की कुल आय समझा जाएगा और ऐसी कुल आय पर निर्धारिती द्वारा संदेय कर साढ़े सात प्रतिशत की दर से आय-कर की रकम होगी” शब्द रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 2001 से रखे गए समझे जाएंगे ;  
 (ख) उपधारा (2) में, दूसरे परंतुक के नीचे स्पष्टीकरण में,—  
 (i) खंड (ख) में, “चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों,” शब्दों के पश्चात्, “धारा 33कग के अधीन विनिर्दिष्ट किसी आरक्षित से भिन्न” शब्द, अंक और अक्षर, 1 अप्रैल, 2003 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ; 50

(ii) खंड (i) और परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा और 1 अप्रैल, 2001 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

“(i) किसी आरक्षिती या व्यवस्था से वापस ली गई रकम (लाभ-हानि लेखे में विकलन के रूप से अन्यथा, 1 अप्रैल, 1997 से पूर्व सृजित किसी आरक्षिती को छोड़कर) यदि ऐसी कोई रकम लाभ हानि लेखे में जमा की जाती है :

5 परंतु जहां यह धारा किसी पूर्ववर्ष में किसी निर्धारिती को लागू होती है वहां 1 अप्रैल, 1997 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में सृजित आरक्षितियों में से या की गई व्यवस्थाओं में से वापस ली गई रकम को बही लाभ में से तभी घटाया जाएगा जब उन आरक्षितियों या व्यवस्थाओं को (जिनमें से उक्त रकम वापस ली गई थी), यथास्थिति, इस स्पष्टीकरण या धारा 115अक के दूसरे परंतुक के नीचे स्पष्टीकरण के अधीन से वर्ष में बही लाभ से जोड़ा गया है ; या” ;

10 (iii) खंड (iii) और स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा और 1 अप्रैल, 2001 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

“(iii) हानि की रकम जो अग्रनीत की जाती है या लेखा बहियों के अनुसार शेष अवक्षयण, इनमें से जो भी कम हो ।

**स्पष्टीकरण**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) हानि में अवक्षयण सम्मिलित नहीं होगा ;

15 (ख) इस खंड के उपबंध लागू नहीं होंगे यदि अग्रनीत की गई हानि की रकम या शेष अवक्षयण शून्य है ; या”।

50. आय-कर अधिनियम की धारा 115ण की उपधारा (1) में, “1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्” अंकों और शब्दों के पश्चात् धारा 115ण का संशोधन ।  
“किंतु 31 मार्च, 2002 को या उससे पूर्व” शब्द और अंक, 1 अप्रैल, 2003 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

51. आय-कर अधिनियम की धारा 115द में, 1 अप्रैल, 2003 से,—

धारा 115द का संशोधन ।

20 (क) उपधारा (1) में, “भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा अपने यूनिट धारकों को वितरित की गई आय की कोई रकम” शब्दों के स्थान पर, “किसी पारस्परिक निधि द्वारा अपने यूनिट धारकों को 31 मार्च, 2002 को या उससे पूर्व वितरित की गई आय की कोई रकम” शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में, “पारस्परिक निधि द्वारा अपने यूनिट धारकों को वितरित की गई आय की कोई रकम” शब्दों के स्थान पर, “भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा अपने यूनिट धारकों को 31 मार्च, 2002 को या उससे पूर्व वितरित की गई आय की कोई रकम” शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

25 52. आय-कर अधिनियम की धारा 119 की उपधारा (2) के खंड (क) में, “155” अंकों और अक्षर के पश्चात्, “158खचक” अंक धारा 119 का संशोधन।  
और अक्षर, 1 जून, 2002 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

53. आय-कर अधिनियम की धारा 132 में, 1 जून, 2002 से,—

धारा 132 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में खंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

30 “(ii) किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके कब्जे में या नियंत्रण में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (न) में यथापरिभाषित लेखा की कोई पुस्तकें या अन्य दस्तावेज जो इलेक्ट्रॉनिक लेखों के रूप में रखे जाते हैं, प्राधिकृत अधिकारी को, लेखा की ऐसी पुस्तकें या अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण करने की आवश्यक सुविधा देने की अपेक्षा की जाएगी ;” ;

(ख) उपधारा (5) से उपधारा (7) का लोप किया जाएगा ;

(ग) उपधारा (8) में, “अभिग्रहण की तारीख से एक सौ अस्सी दिन” शब्दों के स्थान पर, “धारा 158खग के खंड (ग) के अधीन निर्धारण आदेश की तारीख से तीस दिन” शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

35 (घ) उपधारा (8क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(8क) उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश, आदेश की तारीख से साठ दिन से अधिक की कालावधि के लिए प्रवृत्त नहीं होगा।” ;

(ङ) उपधारा (9क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

40 “(9क) जहां प्राधिकृत अधिकारी को उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति पर कोई अधिकारिता नहीं है, वहां प्राधिकृत अधिकारी उस उपधारा के अधीन अभिगृहीत लेखा पुस्तकें या अन्य दस्तावेज या कोई धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज (जिन्हें धारा 132क और धारा 132ख में आस्तियां कहा गया है) उस व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को ऐसी तारीख से जिसको तलाशी का अंतिम प्राधिकार निष्पादित किया गया था, साठ दिन की कालावधि के भीतर सौंप देगा और तदुपरि उपधारा (8) या उपधारा (9) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां ऐसे निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रयोग की जाएंगी ।” ;

45 (च) उपधारा (11), उपधारा (11क) और उपधारा (12) का लोप किया जाएगा ;

(छ) उपधारा (14) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण 1 के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

‘स्पष्टीकरण 1—उपधारा (9क) के प्रयोजनों के लिए, “तलाशी के किसी प्राधिकार का निष्पादन” पद का वहीं अर्थ होगा जो धारा 158खड के स्पष्टीकरण 2 में है ।’

54. आय-कर अधिनियम की धारा 132ख के स्थान पर निम्नलिखित धारा, 1 जून, 2002 से रखी जाएगी, अर्थात् :—

धारा 132ख के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

50 ‘132ख. (1) धारा 132 के अधीन अभिगृहीत या धारा 132क के अधीन अपेक्षित आस्तियों को निम्नलिखित रीति में व्यवहृत किया जा सकेगा, अर्थात् :—

अभिगृहीत या अपेक्षित आस्तियों का उपयोगन।

(i) इस अधिनियम, धन-कर अधिनियम, 1957, व्यय-कर अधिनियम, 1987, दान कर अधिनियम, 1958 और ब्याज-कर अधिनियम, 1974 के अधीन विद्यमान किसी दायित्व की रकम और ब्लाक अवधि के लिए अध्याय 14ख के अधीन निर्धारण के पूरा होने पर अवधारित दायित्व की रकम (जिसमें ऐसे निर्धारण के संबंध में उद्गृहीत कोई आस्ति या संदेय ब्याज

सम्मिलित है) तथा जिनके बारे में ऐसा व्यक्ति व्यक्तिक्रमी है या व्यक्तिक्रम करने वाला समझा जाता है, ऐसी आस्तियों से वसूल की जा सकेगी:

परंतु जहां ऐसी किसी आस्ति के अर्जन की प्रकृति और स्रोत को निर्धारण अधिकारी के समाधानप्रद रूप में स्पष्ट कर दिया जाता है वहां इस खंड में निर्दिष्ट किसी विद्यमान दायित्व की रकम की वसूली ऐसी आस्ति में से की जा सकेगी और आस्ति का शेष भाग, यदि कोई है, मुख्य आयुक्त या आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से ऐसे व्यक्ति को दे दिया जाएगा जिसकी अभिरक्षा से वे आस्तियां अभिगृहीत की गई थीं :

परंतु यह और कि ऐसी आस्ति या उसके किसी भाग को जो पहले परंतुक में निर्दिष्ट किया गया है उस तारीख से, जिसको, यथास्थिति, धारा 132 के अधीन तलाशी के लिए अंतिम प्राधिकार या धारा 132क के अधीन अपेक्षा निष्पादित की गई थी, एक सौ बीस दिन की अवधि के भीतर दे दिया जाएगा ;

(ii) यदि आस्तियां मात्र धन या भागतः धन और भागतः अन्य आस्तियों के रूप में है तो निर्धारण अधिकारी ऐसे धन का उपयोग खंड (i) में निर्दिष्ट दायित्वों के निर्वहन में कर सकेगा और निर्धारित इस प्रकार उपयोजित धन के परिमाण तक ऐसे दायित्व से उम्मीदित हो जाएगा ;

(iii) धन से भिन्न आस्तियों का उपयोग खंड (i) में निर्दिष्ट किसी ऐसे दायित्व के निर्वहन के लिए भी किया जा सकेगा जो अनिर्वहित रह जाए और इस प्रयोजन के लिए आस्तियां करस्थम् के अधीन समझी जाएंगी मानो ऐसा करस्थम्, यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी द्वारा धारा 226 की उपधारा (5) के अधीन मुख्य आयुक्त या आयुक्त के प्राधिकार से प्रभावी किया गया था और, यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी, ऐसे दायित्वों की रकम को ऐसी आस्तियों के विक्रय द्वारा वसूल कर सकेगा और ऐसा विक्रय तृतीय अनुसूची में अभिकथित रीति से किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट कोई बात इस अधिनियम में अधिकथित किसी अन्य ढंग से पूर्वोक्त दायित्वों की रकम की वसूली को प्रवारित नहीं करेगी ।

(3) कोई आस्तियां या उनके आगम जो उपधारा (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट दायित्वों के निर्वहन के पश्चात् बाकी रहते हैं, तत्काल उस व्यक्ति को दे दिए या संदत्त कर दिए जाएंगे जिसकी अभिरक्षा से वे आस्तियां अभिगृहीत की गई थीं ।

(4)(क) केंद्रीय सरकार, उतनी रकम पर, जितने से उपधारा (1) के खंड (i) के वर्तमान परंतुक के अधीन दी गई धन की रकम से, यदि कोई हो, घटा कर आए धारा 132 के अधीन अभिगृहीत या धारा 132क के अधीन अध्यापेक्षित धन और उपधारा (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट विद्यमान दायित्व के निर्वहन के लिए बेची गई आस्तियों के आगमों का, यदि कोई हों, योग, इस धारा की उपधारा (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट दायित्वों को पूरा करने के लिए अपेक्षित रकमों के योग से अधिक है, आठ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज का संदाय करेगी ;

(ख) ऐसा ब्याज उस तारीख से, जिसको धारा 132 के अधीन तलाशी के लिए अंतिम प्राधिकार या धारा 132क के अधीन अध्यापेक्षा निष्पादित की गई थी, एक सौ बीस दिन की कालावधि की समाप्ति से ठीक बाद की तारीख से अध्याय 14ख के अधीन निर्धारण के पूरा होने की तारीख तक चलेगा ।

**स्पष्टीकरण—**इस धारा में,—

(i) “ब्लाक अवधि” का वही अर्थ है जो धारा 158ख के खंड (क) में है ;

(ii) “तलाशी या अध्यापेक्षा के लिए प्राधिकार का निष्पादन” का वही अर्थ है जो धारा 158खड के स्पष्टीकरण 2 में है।’

धारा 133क का संशोधन । 55. आय-कर अधिनियम की धारा 133क में, 1 जून, 2002 से,—

(क) उपधारा (3) में, खंड (i) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(क) अपने द्वारा निरीक्षित किसी लेखा पुस्तक या अन्य दस्तावेज को, ऐसी अवधि के लिए जो वह ठीक समझे, परिवर्द्ध कर सकेगा और अपनी अभिरक्षा में रख सकेगा :

परंतु ऐसा आय-कर प्राधिकारी,—

(क) किसी लेखा पुस्तक या अन्य दस्तावेज को, ऐसा करने के अपने कारणों को अभिलिखित किए बिना, परिवर्द्ध नहीं करेगा, या

(ख) उसके लिए, यथास्थिति, मुख्य आयुक्त या महानिदेशक या आयुक्त या निदेशक के अनुमोदन प्राप्त किए बिना पंद्रह दिन से अधिक अवधि के लिए (अवकाशों को छोड़कर) ऐसी लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों को अपनी अभिरक्षा में नहीं रखेगा।”;

(ख) उपधारा (4) में, “कोई लेखा पुस्तकें या अन्य दस्तावेजें या” शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 139 का संशोधन । 56. आय-कर अधिनियम की धारा 139 में,—

(क) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(क) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसा कोई व्यक्ति जो कोई व्यक्ति है और जो “वेतन” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय प्राप्त करता है, अपने विकल्प पर ऐसी स्कीम के अनुसार, जो बोर्ड द्वारा इस निमित्त, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट की जाए, और ऐसी शर्तों के अधीन जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, अपने नियोजक को किसी पूर्ववर्ष में अपनी आय की विवरणी देगा और ऐसा नियोजक नियत तारीख से या उससे पूर्व उसके द्वारा प्राप्त आय की सभी विवरणियां ऐसे प्ररूप में (जिसके अंतर्गत किसी फ्लामी, डिस्क्रेट, चुंबकीय कार्ट्रिज टेप, सीडी-रोम या किसी अन्य कंप्यूटर पठनीय मीडिया सम्मिलित है) और ऐसी रीति में जो उस स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, देगा और ऐसी दशा में, किसी कर्मचारी के बारे में जिसने अपने नियोजक को अपनी आय की विवरणी फाइल की है, उपधारा (1) के अधीन यह समझा जाएगा कि उसने आय की विवरणी दे दी है तथा तदनुसार इस अधिनियम के उपबंध लागू होंगे।”;

(ख) उपधारा (4ख) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2003 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(4ग)(क) धारा 10 के खंड (21) में निर्दिष्ट प्रत्येक वैज्ञानिक अनुसंधान संगम ;

(ख) धारा 10 के खंड (22ख) में निर्दिष्ट प्रत्येक समाचार एजेंसी ;

(ग) धारा 10 के खंड (23क) में निर्दिष्ट प्रत्येक संगम या संस्था ;

5 (घ) धारा 10 के खंड (23ख) में निर्दिष्ट प्रत्येक संस्था ;

(ङ) धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) में निर्दिष्ट प्रत्येक निधि या संस्था या उपखंड (v) में निर्दिष्ट प्रत्येक न्यास या संस्था या उपखंड (vi) में निर्दिष्ट प्रत्येक कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या उपखंड (vi) में निर्दिष्ट प्रत्येक कोई अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था ;

10 (च) धारा 10 के खंड (24) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यवसाय संघ या उपखंड (ख) में निर्दिष्ट प्रत्येक संगम, यदि ऐसे वैज्ञानिक अनुसंधान संगम, समाचार एजेंसी, संगम या संस्था, निधि या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या कोई अस्तपताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था या व्यवसाय संघ के संबंध में कुल आय, जो धारा 10 के उपबंधों को प्रभावी किए बिना निर्धारणीय है, उस अधिकतम रकम से अधिक है जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है, तो पूर्ववर्ष की ऐसी आय की विवरणी जो विहित रूप में और विहित रीति से सत्यापित हो और उसमें ऐसी विशिष्टियां दी गई हों जो विहित की जाएं, प्रस्तुत करेगा तथा इस अधिनियम के सभी उपबंध, जहां तक हो सके, वैसे ही लागू होंगे जैसे वह उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित कोई विवरणी हो।”;

15 (ग) उपधारा (9) में स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (i) में, निम्नलिखित परन्तुक, 1 जून, 2002 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु जहां विवरणी के साथ ऐसे कर का, यदि कोई हो, जिसके स्रोत पर काटे जाने का दावा किया गया है, सबूत नहीं है, वहां ऐसी आय की विवरणी को त्रुटिपूर्ण विवरणी नहीं समझा जाएगा, यदि,—

20 (क) धारा 203 के अधीन कटौती किए गए कर का कोई प्रमाणपत्र अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को नहीं दिया गया था ;

(ख) ऐसा प्रमाणपत्र धारा 155 की उपधारा (14) के अधीन विनिर्दिष्ट दो वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाता है।”।

57. आय-कर अधिनियम की धारा 143 में,—

धारा 143 का संशोधन।

25 (क) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा, 1 जून, 2002 से रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(2) जहां धारा 139 के अधीन या धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना के उत्तर में कोई विवरणी दी गई है, वहां निर्धारण अधिकारी,—

30 (i) जहां उसका यह विश्वास करने का कारण है कि विवरणी में दी गई किसी हानि, छूट, कटौती, मोक या अनुतोष का कोई दावा अननुज्ञेय है, वहां वह निर्धारिती को एक सूचना तामील करेगा जिसमें हानि, छूट, कटौती, मोक या अनुतोष के ऐसे दावे की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट की जाएंगी और उसमें विनिर्दिष्ट की जाने वाली किसी तारीख को, यह अपेक्षा की जाएगी कि वह उसमें विनिर्दिष्ट किसी साक्ष्य या विशिष्टियां, जिन पर निर्धारिती अपने दावे के समर्थन में निर्भर करता है, पेश करे या करवाए ;

35 (ii) खंड (i) में किसी बात के होते हुए भी, यदि वह यह सुनिश्चित करना आवश्यक या समीचीन समझता है कि निर्धारिती ने कम आय का विवरण नहीं दिया है या आधिक्य हानि संगणित नहीं की है या किसी रीति में कम कर संदत्त नहीं किया गया है, निर्धारिती को एक सूचना की तामील करेगा जिसमें उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह उसमें विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख को उसके कार्यालय में या तो उपस्थित हो या वहां ऐसे साक्ष्य को, जिस पर निर्धारिती उस विवरणी के समर्थन में निर्भर करता है, पेश करे या करवाए :

परंतु यह कि इस उपधारा के अधीन निर्धारिती पर किसी सूचना की तामील उस मास के अंत से जिसमें विवरणी पेश की जाती है, बारह मास के अवसान के पश्चात् नहीं की जाएगी।”;

40 (ख) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा, 1 जून, 2002 से रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(3) सूचना में विनिर्दिष्ट दिन को,—

45 (i) जो उपधारा (2) के खंड (i) के अधीन जारी की गई है या ऐसे साक्ष्य की सुनवाई के यावतशक्य पश्चात् और ऐसी विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए, जिन्हें निर्धारिती पेश करे, निर्धारण अधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट दावे या दावों को मंजूर या खारिज करेगा और तदनुसार कुल आय या हानि का अवधारण करते हुए निर्धारण करेगा और ऐसे निर्धारण के आधार पर निर्धारिती द्वारा संदेय राशि का अवधारण करेगा ;

50 (ii) जो उपधारा (2) के खंड (ii) के अधीन जारी की गई है या उसके ऐसे साक्ष्य की सुनवाई के यावतशक्य पश्चात्, जिन्हें निर्धारिती पेश करे और ऐसा अन्य साक्ष्य जिसकी निर्धारण अधिकारी विनिर्दिष्ट बिंदु पर अपेक्षा करे, और सभी सुसंगत बातों को ध्यान में रखने के पश्चात् जो उसने एकत्रित की है, निर्धारण अधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, निर्धारिती की कुल आय या हानि का निर्धारण करेगा और ऐसे निर्धारण के आधार पर उसके द्वारा संदेय राशि या उसको देय किसी रकम के प्रतिदाय की राशि का अवधारण करेगा।”;

(ग) उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2003 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह कि —

(क) धारा 10 के खंड (21) में निर्दिष्ट वैज्ञानिक अनुसंधान संगम ;

(ख) धारा 10 के खंड (22ख) में निर्दिष्ट समाचार एजेंसी ;

(ग) धारा 10 के खंड (23क) में निर्दिष्ट संगम या संस्था ;

(घ) धारा 10 के खंड (23ख) में निर्दिष्ट संस्था ;

(ङ) धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) में निर्दिष्ट निधि या संस्था या उपखंड (v) में निर्दिष्ट न्यास या संस्था या उपखंड (vi) में निर्दिष्ट कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या उपखंड (vi) में निर्दिष्ट कोई अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था,

5

जिससे धारा 139 की उपधारा (4ग) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है, ऐसे वैज्ञानिक अनुसंधान संगम, समाचार एजेंसी, संगम या संस्था या निधि या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था की कुल आय या हानि के निर्धारण करने का कोई आदेश निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 10 के उपबंधों को प्रभावी किए बिना तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि—

(i) निर्धारण अधिकारी ने, जहां उसकी राय में ऐसा उल्लंघन हुआ है, केन्द्रीय सरकार या विहित प्राधिकारी को, ऐसे वैज्ञानिक अनुसंधान संगम, समाचार एजेंसी, संगम या संस्था या निधि या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा, यथास्थिति, धारा 10 के खंड (21) या खंड (22ख) या खंड (23क) या खंड (23ख) या खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (vi) के उपबंधों का उल्लंघन की सूचना न दी हो ; और

(ii) ऐसे वैज्ञानिक अनुसंधान संगम या अन्य संगम या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था को प्रदत्त अनुमोदन वापस न ले लिया गया हो या ऐसे समाचार एजेंसी, या निधि, या न्यास या संस्था की बाबत जारी की गई अधिसूचना का उक्त सूचना के अनुसरण में विखंडन न कर दिया गया हो ।”।

धारा 153 का संशोधन। 58. आय-कर अधिनियम की धारा 153 की उपधारा (3) के स्पष्टीकरण 1 में खंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2003 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(ii) उस तारीख से प्रारंभ होने वाली, जिसको निर्धारण अधिकारी, केन्द्रीय सरकार या विहित प्राधिकारी को, धारा 143 की उपधारा (3) के परंतुक के खंड (i) के अधीन धारा 10 के खंड (21) या खंड (22ख) या खंड (23क) या खंड (23ख) या खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (vi) के उपबंधों के उल्लंघन की सूचना देता है और उस तारीख को समाप्त होने वाली, जिसको उन खंडों के अधीन, यथास्थिति, अनुमोदन को वापस लेने के आदेश या अधिसूचना के विखंडन की प्रति निर्धारण अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाती है, की अवधि ;”।

धारा 155 का संशोधन। 59. आय-कर अधिनियम की धारा 155 में, उपधारा (13) के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित उपधारा, 1 जून, 2002 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(14) जहां किसी पूर्ववर्ष के लिए निर्धारण में या किसी पूर्ववर्ष के लिए धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना या समझी गई सूचना में, धारा 199 के उपबंधों के अनुसार कटौती किए गए कर के लिए प्रत्यय इस आधार पर नहीं दिया गया है कि धारा 203 के अधीन दिया गया प्रमाणपत्र विवरणी के साथ फाइल नहीं किया गया था और तत्पश्चात् ऐसा प्रमाणपत्र उस निर्धारण वर्ष के अंत से जिसमें ऐसी आय निर्धारणीय है, दो वर्ष के भीतर निर्धारण अधिकारी के समक्ष पेश कर दिया जाता है, वहां निर्धारण अधिकारी, यथास्थिति, निर्धारण आदेश या धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना या समझी गई सूचना का संशोधन करेगा और धारा 154 के उपबंध, जहां तक हो सके, उसको लागू होंगे :

परंतु यह कि इस उपधारा की कोई बात तब तक लागू नहीं होगी जब तक उस आय को जिससे कर की कटौती कर ली गई है, सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारित द्वारा फाइल की गई आय-कर विवरणी में प्रकट नहीं कर दिया जाता है ।

(15) जहां किसी वर्ष के लिए निर्धारण में, किसी पूंजी आस्ति के, जो भूमि या भवन या दोनों हैं अंतरण से प्रोद्भूत पूंजी अभिलाभ की संगणना, धारा 50ग की उपधारा (1) के अनुसार स्टाम्प शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए किसी राज्य सरकार के किसी प्राधिकारी द्वारा अंगीकार या निर्धारित किए जाने वाले मूल्य के रूप में अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या उद्भूत होने वाले प्रतिफल के पूर्ण मूल्य को लेकर की जाती है और बाद में, उस धारा की उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी अपील या पुनरीक्षण या निर्देश में ऐसा मूल्य, पुनरीक्षित कर दिया जाता है, वहां निर्धारण अधिकारी, निर्धारण के आदेश को संशोधित करेगा, जिससे कि ऐसी अपील या पुनरीक्षण या निर्देश में इस प्रकार पुनरीक्षित मूल्य के रूप में प्रतिफल के पूर्ण मूल्य को लेकर पूंजी अभिलाभ की संगणना की जा सके; और धारा 154 के उपबंध, जहां तक संभव हो सकें, उसको लागू होंगे तथा चार वर्ष की अवधि की गणना उस पूर्व वर्ष की समाप्ति से की जाएगी, जिसमें मूल्य का पुनरीक्षण करने वाला आदेश उस अपील या पुनरीक्षण या निर्देश में पारित किया गया था।” ।

धारा 158क का संशोधन । 60. आय-कर अधिनियम की धारा 158क में, 1 जून, 2002 से,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) “धारा 257 के अधीन किसी निर्देश पर या धारा 261 के अधीन अपील में उच्चतम न्यायालय के समक्ष” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “धारा 257 के अधीन किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय के समक्ष या धारा 260क के अधीन अपील में उच्च न्यायालय के समक्ष या धारा 261 के अधीन अपील में उच्चतम न्यायालय के समक्ष” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) “धारा 256 के अधीन उच्च न्यायालय के या धारा 257 के अधीन उच्चतम न्यायालय के समक्ष निर्देश के लिए अथवा धारा 261 के अधीन उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील में” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “धारा 260क के अधीन उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में अथवा धारा 261 के अधीन उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील में” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (4) के खंड (ख) में, “धारा 256 के अधीन उच्च न्यायालय के या धारा 257 के अधीन उच्चतम न्यायालय के समक्ष निर्देश के लिए अथवा धारा 261 के अधीन उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील में” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “धारा 260क के अधीन उच्च न्यायालय के या धारा 261 के अधीन उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील में” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

61. आय-कर अधिनियम की धारा 158ख के खंड (ख) में, “जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रकट नहीं की गई है, या नहीं धारा 158ख का संशोधन ।  
की गई होती आय” शब्दों के पश्चात्, “या इस अधिनियम के अधीन दावाकृत कोई व्यय, कटौती या भत्ता जो मिथ्या पाया जाता है” शब्द, 1 जून, 2002 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।
62. आय-कर अधिनियम की धारा 158खख की उपधारा (1) में, 1 जून, 2002 से,— धारा 158खख का संशोधन ।
- 5 (i) “जो लेखा पुस्तकों या दस्तावेजों” शब्दों से आरंभ होने वाले तथा “अध्याय 4 के उपबंधों के अनुसार” शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, “जो लेखा पुस्तकों या दस्तावेजों और ऐसी अन्य सामग्री या जानकारी की, जो निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध हो और ऐसे साक्ष्य से संबंधित हो, तलाशी या अपेक्षा के परिणामस्वरूप प्राप्त साक्ष्य के आधार पर इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार” शब्द रखे जाएंगे ;
- (ii) खंड (क) में, “पूरे किए गए हैं” शब्दों के स्थान पर “तलाशी के प्रारंभ की तारीख से या अध्यपेक्षा की तारीख से पहले पूरे किए गए हैं” शब्द रखे जाएंगे ;
- 10 (iii) खंड (ख) में, “या धारा 147 के अधीन” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “के अधीन या धारा 142 की उपधारा (1) या धारा 148 के अधीन जारी किए गए किसी सूचना की प्रतिक्रिया में” शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;
- (iv) खंड (ग) के स्थान, पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—
- 15 “(ग) जहां आय की विवरणी फाइल करने के लिए नियत तारीख समाप्त हो गई है किन्तु आय की कोई विवरणी फाइल नहीं की गई है,—
- (अ) तलाशी या अपेक्षा की तारीख को या उसके पूर्व सामान्य अनुक्रम में रखी गई लेखा पुस्तकों या दस्तावेजों में यथाअभिलिखित प्रविष्टियों के आधार पर, जहां ऐसी प्रविष्टियां ब्लाक अवधि के अंतर्गत आने वाले किसी पूर्व वर्ष के लिए हानि की संगणना के परिणामस्वरूप हैं ; या
- (आ) तलाशी या अपेक्षा की तारीख को या उसके पूर्व सामान्य अनुक्रम में रखी गई लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों में यथाअभिलिखित प्रविष्टियों के आधार पर, जहां ऐसी आय उस अधिकतम रकम से अधिक नहीं है जो ब्लाक अवधि के अंतर्गत आने वाले किसी पूर्ववर्ष के लिए कर से प्रभार्य नहीं है ;
- 20 (गक) जहां खंड (ग) के अधीन न आने वाले मामलों में आय की विवरणी फाइल करने के लिए नियत तारीख समाप्त हो गई है किन्तु आय की कोई विवरणी फाइल नहीं की गई है वहां, शून्य के रूप में ।”;
- (v) स्पष्टीकरण में, खंड (क) में,—
- 25 (i) “अध्याय 4” शब्द और अंक के स्थान पर, “इस अधिनियम” शब्द रखे जाएंगे ;
- (ii) इस प्रकार संशोधित स्पष्टीकरण के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
- “परंतु यह कि उक्त संकलन के प्रयोजनों के लिए अध्याय 6क के अधीन कटौतियों की संगणना करने में अध्याय 6 के अधीन अग्रणीत हानियों या धारा 32 की उपधारा (2) के अधीन अनामलित अवक्षयण को मुजरा देने के लिए प्रभावी किया जाएगा;”।
- 30 63. आय-कर अधिनियम की धारा 158खग में, 1 जून, 2002 से,— धारा 158खग का संशोधन ।
- (क) खंड (ख) में, “और धारा 144” शब्दों और अंकों के स्थान पर “धारा 144 और धारा 145” शब्द और अंक रखे जाएंगे ;
- (ख) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—
- “(घ) धारा 132 के अधीन अभिगृहीत या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षित आस्तियों का धारा 132ख के उपबंधों के अनुसार निपटारा किया जाएगा ।”।
- 35 64. आय-कर अधिनियम की धारा 158खघ में, “और वह निर्धारण अधिकारी” शब्दों के पश्चात्, “धारा 158खग के अधीन” शब्द, धारा 158खघ का संशोधन ।  
अंक और अक्षर 1 जून, 2002 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।
65. आय-कर अधिनियम की धारा 158खड में, स्पष्टीकरण 1 के स्थान पर निम्नलिखित 1 जून, 2002 से रखा जाएगा, अर्थात् :— धारा 158खड का संशोधन ।
- “स्पष्टीकरण 1—इस धारा के प्रयोजनों के लिए परिसीमा की अवधि की संगणना करने में,—
- (i) वह अवधि, जिसके दौरान निर्धारण कार्यवाही किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश द्वारा रोकी जाती है ; या
- 40 (ii) वह अवधि, जो उस दिन से प्रारंभ होती है जिसको निर्धारण अधिकारी, निर्धारिती को धारा 142 की उपधारा (2क) के अधीन अपनी लेखाओं की संपरीक्षा कराने के लिए निदेश देता है और जो उस दिन को समाप्त होती है जिसको निर्धारिती से उस उपधारा के अधीन ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट देने की अपेक्षा की जाती है ; या
- (iii) धारा 129 के परंतुक के अधीन संपूर्ण कार्यवाही या उसका कोई भाग फिर से आरंभ किए जाने या निर्धारिती को पुनःसुनवाई किए जाने का अवसर दिए जाने में व्यतीत समय ; या
- 45 (iv) उस मामले में जहां धारा 245ग के अधीन समझौता आयोग के समक्ष किया गया आवेदन उसके द्वारा निरस्त किया जाता है या उसके द्वारा कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता है वहां वह अवधि, जो उस दिन से प्रारंभ होती है जिसको आवेदन किया जाता है और उस दिन को समाप्त होती है जिसको धारा 245घ की उपधारा (1) के अधीन आदेश उस धारा की उपधारा (2) के अधीन आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है,
- अपवर्जित की जाएगी :
- 50 परंतु जहां पूर्वोक्त अवधि का अपवर्जन किए जाने के ठीक पश्चात् धारा 158खग के खंड (ग) के अधीन कोई आदेश करने के लिए निर्धारण अधिकारी को उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट परिसीमा की उपलब्ध अवधि साठ दिन से कम है तो ऐसी शेष अवधि का साठ दिन तक विस्तार किया जाएगा और पूर्वोक्त परिसीमा की अवधि तदनुसार विस्तारित की गई समझी जाएगी ।”।